FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0014 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/01/2026 22:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/10/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2026 **Time (समय):** 21:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/01/2026 22:24:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 413 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** POLICE THANA NAI JILA UADIPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DHARAMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROOPA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1966 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	FALA KHERIYA,ALSIGARH, NAI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	FALA KHERIYA,ALSIGARH, NAI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LEELARAM		पिता:DERAJRAM NEGHWAL	1. KAPOORIYA,FATEHGARH,JAIS
2	LALIT KUMAR AND OTHERS		पिता:TOLARAM NAGAD	1. BAGHPURA,UDAIPUR,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 9,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,घटनाक्रम इस प्रकार है कि श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (परि.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 12-15 दिनांक 02.01.2026 श्री योगेश गोयल, पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर का पत्र क्रमांक 34518-21 दिनांक 18.10.2025, प्रार्थीगण श्री धर्मा पुत्र श्री रूपा, श्री वेसा पुत्र श्री रतना, श्री नाना उर्फ नानू पुत्र श्री कमला एवं श्री नानजी पुत्र श्री गुंजा द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर को सम्बोधित परिवाद दिनांक 09.10.2025, उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर की राय दिनांक 17.10.2025 एवं श्री सूर्यवीर सिंह, वृताधिकारी, वृत गिर्वा, जिला उदयपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 3487 दिनांक 31.08.2025 संलग्न प्रेषित कर संदिग्ध लोकसेवकगण 1. श्री लीलाराम, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना नाई, जिला उदयपुर, 2. श्री ललित हैड कानि. 395, पुलिस थाना नाई जिला उदयपुर एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के क्रम में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। श्री योगेश गोयल, पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर द्वारा श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित पत्र क्रमांक 34518-21 दिनांक 18.10.2025 में अंकित किया गया कि "पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त गिर्वा, उदयपुर के पत्र क्रमांक 4304 दिनांक 13.10.2025 एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना नाई, उदयपुर के पत्र क्रमांक 2692 दिनांक 12.10.2025 के साथ परिवादी धर्मा पुत्र रूपा, वेसा पुत्र रतना, नाना उर्फ नानू, नानजी पुत्र गुंजा निवासी अलसीगढ, पुलिस थाना नाई, जिला उदयपुर द्वारा पुलिस थाना नाई, उदयपुर पर प्रस्तुत परिवाद विरूद्ध थानाधिकारी नाई एवं अन्य पुलिसकर्मी के सम्बन्ध में इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।परिवादीगण द्वारा पूर्व में श्री लीलाराम पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना नाई एवं श्री ललित कुमार, हैड कानि. नं. 395 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद पर श्री सूर्यवीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त-गिर्वा, उदयपुर द्वारा प्राथमिक जांच कर जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने पर परिवाद जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 31905-06 दिनाक 28.09.2025 द्वारा श्री लीलाराम पुलिस निरीक्षक व श्री ललित कुमार, हैड कानि. नं. 395, जिला उदयपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय, राज. जयपुर प्रेषित की गई है।परिवादी द्वारा परिवाद में पूर्व घटनाक्रम एवं नये घटनाक्रम के सम्बन्ध में पुलिस कार्मिकों एवं अन्य के विरुद्ध आरोप लगाते हुये प्रकरण दर्ज करने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं पूर्व प्राथमिक जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर (राज.) से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के सम्बन्ध में अभियोजन राय प्राप्त की गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा राय में परिवाद की विवेचना से पुलिस कार्मिकों का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि का माना है।" अतः परिवादी द्वारा प्रकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत परिवाद, परिवाद के सम्बन्ध में अभियोजन अधिकारी से प्राप्त राय/टिप्पणी एवं प्राथमिक जांच रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (परि.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 12-15 दिनांक 02.01.2026 के संलग्न प्रार्थीगण श्री धर्मा पुत्र रूपा भील, श्री वेसा पुत्र श्री रतना भील, श्री नाना उर्फ नानू पुत्र श्री कमला भील निवासी खेरियाफला अलसीगढ जिला उदयपुर एवं श्री नानजी पुत्र श्री गुंजा भील निवासी अलसीगढ जिला उदयपुर के परिवाद का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि-1. यह कि हमारे विरुद्ध पुलिस थाना नाई में दिनांक 14.03.2025 एक एफआईआर संख्या 39/2025 दर्ज हुई थी, जो कि एक हत्या का मामला था, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी, ना ही हम अपराध में सम्मिलित थे। 2 यह कि हमको दिनांक 14.03.2025 को पुलिस थाना नाई में लाकर हिरासत में ले लिया। 3 यह कि इस प्रकरण के जाँच अधिकारी लीला राम मेघवाल, पुलिस निरीक्षक थे। 4. यह कि हमसे लीला राम ने नाम निकालने के एवज में प्रत्येक व्यक्ति से 2-2 लाख रूपये की मांग की। हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने मना कर दिया। 5. यह कि दिनांक 24.03.2025 को हमे पुलिस थाना से पुलिस द्वारा बुलाकर किशन लाल के निजी वाहन से उप-पंजीयन कार्यालय, बारापाल उदयपुर में ले जाकर हमारे हिस्से की सम्पूर्ण जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी बाबूलाल पिता गोविन्द के नाम करवा दी, जो खाता संख्या हमारी स्वामित्व वाली कृषि भूमि (खाता संख्या 120/95, 182/150, 409/256, 194/161) पटवार क्षेत्र अलसीगढ़, तहसील बारापाल उदयपुर में थी। 6. यह कि हम दो बार एसपी ऑफिस गए, रिपोर्ट दी, तब भी कार्यवाही नहीं हुई। तब वापस रिपोर्ट दी, तब गिर्वा डिप्टी साहब ने हमारी कार्यवाही की। 7. यह कि दिनांक 04.10.2025 को दैनिक भास्कर अखबार में हमारी खबर प्रकाशित

होने से गाँव के मौतबिर और नाई थाना पुलिस के दलालो ने मिलकर दिनांक 07.10.2025 को बाबूलाल पुत्र गोविन्द को बुलाकर बारापाल तहसील ले जाकर मुख्तियार नामा निरस्त करवा दिया। जब हम पुलिस से छूटे, तब पता चला कि हमारी जमीन हड़पने के लिए कूटरचित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए है। हमें बारापाल तहसीलदार सुखाराम ने प्रमाणित प्रति नहीं दी. हमने एक महिने चक्कर काटे तब मिली। 8. यह कि दिनाक 07.10.2025 को रजिस्ट्री निरस्तीकरण के दौरान कई कागजो पर राजू निवासी पई ने हस्ताक्षर करवाए जिसमें हमको यह लिखवाया गया कि जमीन मौताणे को चुकाने और निजी आवश्यकता बताई। जबकि सीआई लीला राम और ललित ने हमे छोड़ने के लिए जमीन का पावर इनके दलाल के नाम करवाई। 9 यह कि हमे दिनांक 14.03.2025 से 25.03.2025 तक नाई थाने में अवैध हिरासत में रखकर दबावपूर्वक एक्टोर्शन कर हमारी जमीन लीला राम सीआई और ललित कुमार हेड कांस्टेबल के माध्यम से हथियाई गई। 10. यह कि दिनांक 24.03.2025 को तथा दिनांक 07.10.2025 को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हमारी जमीन हड़पी गई तथा पुलिस ने अपना अपराध छुपाने के लिए हमसे झूठे शपथ पत्र निष्पादित करवाए। 11. यह कि दिनांक 07.10.2025 को कूटरचित दस्तावेज और शपथ पत्र तैयार कर हमसे छुपाकर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें हमे डिप्टी सूर्यवीर सिंह के खिलाफ लिखवाकर हस्ताक्षर करवाए तथा मुख्य अभियुक्त सीआई लीला राम और ललित कुमार एचसी को निर्दोष बताने के लिए, इनके दलालो से मिलकर कूटरचना की गई तथा इस शपथ पत्र की नोटेरी गोवर्धन विलास में किसी नोटेरी के यहां करवाई, हमारे हस्ताक्षर करवाए और बताया कि यह कागज मुख्तियार नामे को केन्सिल करने के लिए आवश्यक है।नोट- 1. श्रीमान् माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दी गाईड लाईन के तहत संज्ञेय अपराध के सन्दर्भ में 24 घण्टो के भीतर एफआईआर दर्ज कर एफआईआरकर्ता को एफआईआर की प्रति उपलब्ध करावे। 2. संज्ञेय अपराध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया के निर्देश "एक्शन मस्ट बी टेकन" की पालना कर बिना जाँच के एफआईआर दर्ज करावे । यदि जाँच के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो आपके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 27 अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। 3. संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा बीएनएस की धारा 199 व 208 के तहत संज्ञान ले कर आपके विरूद्ध वारण्ट जारी किए जा सकते है। 4. श्रीमान् पुलिस निदेशक, राजस्थान द्वारा परिपत्र सख्या 2/18 दि. 30.07.2018 के तहत संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर थाना अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है। 5. प्रत्येक उच्चाधिकारी के संज्ञान में संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है, तो बीएनएसएस की धारा 34 के तहत थानाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर एफआईआर दर्ज करवानी होती है। अतः श्रीमान् हमे अवैध हिरासत में रखकर एक्टोर्शन कर कूटरचित दस्तावेज और राजकीय पद का दुरुपयोग कर हमारी जमीन हडपने वाले अभियुक्त संख्या 01 से 05 तक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करावें।प्रार्थीगण श्री धर्मा पुत्र रूपा भील, श्री वेसा पुत्र श्री रतना भील, श्री नाना उर्फ नानू पुत्र श्री कमला भील निवासी खेरियाफला अलसीगढ जिला उदयपुर एवं श्री नानजी पुत्र श्री गुंजा भील निवासी अलसीगढ जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकित तथ्यों के आधार पर 1. श्री लीलाराम पुत्र श्री देराजराम मेघवाल निवासी गांव कपूरिया तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना नाई जिला उदयपुर, 2. श्री ललित कुमार पुत्र श्री तोलाराम नागदा निवासी बाघपुरा पुलिस थाना बाघपुरा जिला उदयपुर तत्कालीन हैड कानि. 395, पुलिस चौकी अलसीगढ, थाना नाई जिला उदयपुर एवं अन्य के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन करवाये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।भवदीय,(अनन्त कुमार)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो,उदयपुर.......कार्यवाही पुलिस.......प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण श्री लीलाराम पुत्र श्री देराजराम मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी गांव कपूरिया तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना नाई जिला उदयपुर।2. श्री ललित कुमार पुत्र श्री तोलाराम नागदा उम्र 41 वर्ष निवासी बाघपुरा पुलिस थाना बाघपुरा जिला उदयपुर तत्कालीन हैड कानि. 395, पुलिस चौकी अलसीगढ, थाना नाई जिला उदयपुर एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिश चन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 201 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 76-80 दिनांक 12.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर 3- पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर, 4- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, जयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]1/2026 [illegible]7

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य बिवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				
2	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)